



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

<p>प्रार्थी</p> <p>राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर</p>		
<p>किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957</p>		
<p>प्रार्थना-पत्र नम्बर 428/2020</p>		<p>GCMS No. 2020/00572</p>
<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>29.12.2020</p>	<p>राजस्थान राज्य/सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 4.01.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर) </p>	
<p><u>4/1/2021</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेश में बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 18/3/2021 को पेश हो</p>	
<p><u>18/3/2021</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेश में बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 4/6/2021 को पेश हो</p>	
<p><u>4/6/2021</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई आज श्रामान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान सरकार के आदेश में बाहर पधार हैं। अतः पत्रावली दिनांक 9/7/2021 को पेश हो</p>	
<p><u>9/7/2021</u></p>	<p>पत्रावली पेश हुई इसी अवलोकन किया जा रहा है। अतः पत्रावली दिनांक 9/7/2021 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

संख्या क्र. 424/2020 RCM - 2020/00572

आ.प.सं. - क्र.सं. - 131.132 L.R.A.U

~~पुकार की कृष्णि की गई है और प्रार्थना
पर कृष्णि के आश्रम में कारकिर्दी खाली
होने के कारण बिना पत्रादेश के पत्रादेशी के नाम
धुमा होकर नाम के नाम होकर तद्विषय पत्रादेश है)~~

~~3
अध्यापक अधिकारी
बनारस सिटी (नागौर)~~